नियमित शिशुगृह स्कीम के अन्तर्गत कोई नए शिशुगृह स्वीकृत नहीं किए गए हैं। तथापि, और अधिक शिशुगृह खोलने की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 21-3-94 को एक राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना की थी। वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के तहत 450 शिशुगृह स्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार ब्यौरा संलग्न है)। (नीचे देखिए) राज्य सरकार की सिफारिशों सहित जिन 13 राज्यों से गैर-सरकारी संगठनों के आवेदन प्राप्त हुए थे उन सभी को शिशुगृह स्वीकृत कर दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान, सरकार ने राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अन्तर्गत 450 शिशुगृह स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अन्तर्गत स्वीकृत शिशुगृह

क्रम संख्या	राज्य	स्वीकृत शिशुगृह की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	40
2.	हरियाणा	40
3.	असम	40
4.	कर्नाटक	40
5.	मध्य प्रदेश	40
6.	महाराष्ट्र	45
7.	उड़ीसा	40
8.	पंजाब	10
9.	राजस्थान	10
10.	तमिलनाडु	40
11.	पश्चिम बंगाल	40
12.	उत्तर प्रदेश	45
13.	हिमाचल प्रदेश	20
	योग:	450

Proposals from State Governments for Construction of Stadia and Sports Training Centre

7503. SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI AAS MOHAMMAD:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the State Government have forwarded any proposals for construction of stadia and sports training centres in the respective states, if so, what are the names of such states togetherwith the names of places where these are to be constructed;

(b) what are the details of the places where the said stadia and sports training centres are proposed to be constructed and what is the estimated cost of their construction; and

(c) what are the details of the action taken by Government in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) to (c) Yes, Sir. The details of the proposals forwarded by different State Governments for construction of stadia and sports training centres during the last financial year under the Department's Scheme of Grants for Creation of Sports Infrastructure alongwith action taken by Govt, on each are given in the Annexure. *[See* Appendix 173, Annexure No 162]

राष्ट्रीय महिला कोष के उद्देश्य

7504. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना के बाद जो उद्देश्य रखे गए थे, वे साकार नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) वर्ष 1993-94 में इस कोष में कितनी राशि रखी गई थी और उसमे से कितनी राशि का उपयोग किया गया था?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय महिला कोष अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के मार्फत